

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)

25 राब (विभागा)

सं0सं0-म0नि0-II-उ0यो0-49/2017-18/

/मत्स्य, राँची, दिनांक 21/8/2019

प्रेषक,

पूजा सिंघल, भा0 प्र0 से0
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार

झारखण्ड, राँची।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा:-

आन्तरिक वित्तीय सलाहकार*।

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2019-20 में माँग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) के अंतर्गत फीड बेस्ड फिशरीज की योजना का कुल मो0 150.00 लाख (एक करोड़ पचास लाख) रू0 मात्र के अनुमानित व्यय पर योजना एवं कार्यान्वयन की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य विभागीय राज्यादेश सं0 22 रा0 (विभाग) दिनांक 17.07.2018 एवं ऑनलाईन विभागीय राज्यादेश सं0 950 दिनांक 17.07.2018 के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य योजना मद में फीड बेस्ड फिशरीज की योजना में कुल मो0 150.00 लाख (एक करोड़ पचास लाख) रू0 मात्र की लागत पर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इस योजना अंतर्गत स्वीकृत राशि से मछली उत्पादन में बढ़ोत्तरी (फीड बेस्ड फिशरीज) के लिए मत्स्य कृषकों को अतिरिक्त मछली के उत्पादन हेतु 50 प्रतिशत अथवा 16/- रू0 प्रति कि0ग्रा0 अधिकतम अनुदान पर फ्लोटिंग फीड उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही बोकारो एवं सरायकेला जिले में स्थापित फिश फीड फैक्टरी हेतु आवश्यकता अनुसार उपकरण एवं मशीनों का क्रय किया जायेगा।

2. चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में उल्लिखित कार्य के लिए स्वीकृत राशि कुल मो0 150.00 लाख (एक करोड़ पचास लाख) रू0 मात्र का व्यय निम्न बजट उपबंध के अंतर्गत किया जाएगा जिसके लिए समुचित बजट उपबंध एवं योजना उद्भव्य प्राप्त है :-

क्रमांक	माँग संख्या-53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, मद एवं विपत्र कोड	स्वीकृत राशि (लाख रू0 में)
1	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-उप शीर्ष-56-फीड बेस्ड फिशरीज -विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-17-मशीन एवं उपकरण 53 S 240500101560317	4.00
2	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-उप शीर्ष-56-फीड बेस्ड फिशरीज -विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री 53 S 240500101560323	64.00
3	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-उप शीर्ष-56-फीड बेस्ड फिशरीज -विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय 53 S 240500101560759	4.00
उप योग :		72.00

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

4	लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना -उप शीर्ष-56-फीड बेस्ड फिशरीज-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री 53 S 240500789560323	20.80
उप योग :		20.80
5	लघु शीर्ष-796-जन जातीय क्षेत्र उप योजना -उप शीर्ष-56-फीड बेस्ड फिशरीज -विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-17-मशीन एवं उपकरण 53 S 240500796560317	2.00
6	लघु शीर्ष-796-जन जातीय क्षेत्र उप योजना -उप शीर्ष-56-फीड बेस्ड फिशरीज-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री 53 S 240500796560323	55.20
उप योग :		57.20
कुल योग:		150.00

(एक करोड़ पचास लाख) ₹0 मात्र

3. उपर्युक्त तालिका के क्रमांक - 1 एवं 5 में मशीन उपकरण मद में अंकित राशि जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बोकारो तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ को उपलब्ध कराई जायेगी, जिनके द्वारा फीड मिल के उपकरणों का क्रय योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा स्थापित विहित प्रक्रिया अनुसार किया जायेगा।

उपर्युक्त तालिका के क्रमांक - 3 में अंकित अन्य व्यय की राशि से विभिन्न जिलों में स्थापित फीड मिल के संचालन में आकस्मिकताओं के भुगतान हेतु व्यय किया जायेगा।

4. विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री मद में स्वीकृत राशि से मत्स्य कृषकों/केज मत्स्य पालकों को मछली के उत्पादन हेतु 50 प्रतिशत अथवा 16/- ₹0 प्रति कि०ग्रा० अधिकतम अनुदान पर कम से कम 24 % प्रोटीन गुणवत्तायुक्त फिश फीड उपलब्ध कराया जाएगा।

विभाग द्वारा स्थापित फिश फीड मिल अथवा झास्कोफिश से उत्पादित फिश फीड पर ही यह लाभ कृषकों को फीड के रूप में ही दिया जाएगा।

5. उपर्युक्त कांडिका 4 के अतिरिक्त मत्स्य पालकों को 2mm अथवा इससे छोटे साईज के फैक्ट्री उत्पादित फ्लोटिंग फीड के क्रय पर भी अधिकतम 16/-₹0 प्रति किलोग्राम फीड की दर से अनुदान देय होगा। एक लाभुक को अधिकतम कुल 700 किलोग्राम 2mm अथवा इससे छोटे साईज के फैक्ट्री उत्पादित फ्लोटिंग फीड के क्रय पर 16/-₹0 प्रति किलोग्राम के समानुपातिक दर पर अधिकतम 11200/- (ग्यारह हजार दो सौ) ₹0 की राशि लाभुक के बैंक खाते में डी०बी०टी० की जायेगी। लाभुक द्वारा 2mm अथवा इससे छोटे साईज के फैक्ट्री उत्पादित फ्लोटिंग फीड का वास्तविक रूप में क्रय किया गया है एवं इसकी GST Billing हुई है, इसकी पूर्ण जिम्मेवारी सम्बंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी की होगी। GST Billing के बिना किसी भी लाभुक के खाते में राशि डी०बी०टी० नहीं की जायेगी तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी यह भी सुनिश्चित हो लेंगे कि लाभुक को देय अनुदान की राशि उसके द्वारा व्यय की गई राशि से 50 प्रतिशत अथवा 16/-₹0 प्रति किलोग्राम अधिकतम अनुदान से ज्यादा नहीं हो।

निदेशक मत्स्य जिलावार लक्ष्य के अनुरूप योजना के कार्यान्वयन के लिए विभागीय सचिव के अनुमोदनोपरान्त आवश्यकतानुसार दिशा निदेश निर्गत करेंगे।

- वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस योजना की सृजित देनदारियाँ जिनका भुगतान कतिपय कारणों से लंबित रहा है, का भुगतान, विधिवत जाँचोपरांत इस राज्यादेश के अधीन किया जा सकेगा। देनदारियों का सृजन स्वीकृत कार्यों के वास्तविक निष्पादन के उपरांत हुआ है, इसकी विधिवत् समीक्षा और इसकी जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
6. वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस योजना अंतर्गत जिलावार तथा लघु शीर्षवार वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न है।
 7. योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, (सभी) तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी, (सभी) होंगे जो दिये गये वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्ध आवंटन के अंतर्गत राशि की निकासी संबंधित कोषागार से करेंगे।
 8. योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची होंगे, जो विभागीय सचिव के सर्वोच्च नियंत्रण अंतर्गत समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे।
 9. इस योजना अंतर्गत अनुमानित व्यय के आधार पर मदवार राशि स्वीकृत की गई है। मदवार स्वीकृत राशि की अधिसीमा अंतर्गत पारदर्शी तरीके से सभी स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन कर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा। संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा प्रत्येक माह योजना का भौतिक एवं वित्तीय प्रतिवेदन निदेशक, मत्स्य को तथा निदेशक, मत्स्य समेकित रूप से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
 10. स्वीकृत राशि का व्यय स्वीकृत बजट उपबंध के अन्तर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा के अन्तर्गत प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरूपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा।
 11. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं० - सी०एस० - 2/ आर०-01-2005-301 दिनांक 11 मार्च, 2015 के द्वारा प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में निर्गत किया जाता है।
 12. यह पूर्णतः राज्य योजना है।
 13. वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल स्वीकृत बजट उपबंध मो० 250.00 लाख रु० मात्र में मो० 116.02 लाख रु० मात्र का व्यय हुआ है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में उपलब्ध बजटीय उपबंध के अन्तर्गत ही व्यय होगा।
 14. वित्तीय वर्ष 2018-19 के वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों पर संतुष्ट होने के उपरान्त ही निदेशक मत्स्य द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में आवंटन निर्गत किया जायेगा।
 15. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
 16. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेब-साईट www.jharkhandfisheries.org पर देखा जा सकता है।




विश्वासभाजन

 (पूजा सिंघल)

सरकार के सचिव


215 -
25 रा० (विभाग)
ज्ञापांक / मत्स्य, राँची, दिनांक 21/8/2019

प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव


25 रा० (विभाग)
ज्ञापांक / मत्स्य, राँची, दिनांक 21/8/2019

प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची/ संयुक्त मत्स्य निदेशक/ उप मत्स्य निदेशक (सभी)/ प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश/ जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/ जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी)/ मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची तथा सहायक मत्स्य निदेशक (अनुसंधान) राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव

25 रा० (विभाग)
ज्ञापांक / मत्स्य, राँची, दिनांक 21/8/2019


प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित योजना-सह-वित्त विभाग झारखण्ड, राँची/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/ माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव तथा सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव

25 रा० (विभाग)
ज्ञापांक / मत्स्य, राँची, दिनांक 21/8/2019

प्रतिलिपि : निदेशक, मत्स्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची को स्वीकृत्यादेश की प्रति ई-मेल के माध्यम से भी उपलब्ध करायी जाती है।




सरकार के सचिव

परिशिष्ट-1
वित्तीय वर्ष 2019-20 में फीड बैक प्रियरीय योजना का वार्षिक एवं वित्तीय तथ्य
2405-माछली पालन उप शीर्ष-56- फीड बैक प्रियरीय तथ्य
796-नगरपालिका क्षेत्र उपत्यका

क्र०	वित्त का नाम	03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री													799-वर्षाव वार्षिक के लिए विशेष व्यय		
		2 मास अथवा इससे छोटे वित्तीय फंड के व्यय का मासिक तथ्य (रुप)	2 मास अथवा इससे छोटे वित्तीय फंड के व्यय का वार्षिक तथ्य (रुप)	आवृत्ति से आवृत्ति तक के व्यय का मासिक तथ्य (रुप)	आवृत्ति से आवृत्ति तक के व्यय का वार्षिक तथ्य (रुप)	03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री	03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री	03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री	03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री	03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री	03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री	03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री	03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री	03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री	कुल मासिक तथ्य (रुप)	कुल वित्तीय तथ्य (रुप)	
1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	14	21.70	3.47	32.00	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	1.60	0.00	0.80	0.80	22	3.52
15	15	13.30	2.13	20.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15	2.40
16	16	35.35	5.66	32.00	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60	9.55
17	17	5.60	0.90	12.00	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38	7.13
18	18	33.60	5.38	32.00	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79	12.70
19	19	5.60	0.90	25.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22	3.46
20	20	16.45	2.63	27.00	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70	15.64
21	21	3.15	0.50	20.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35	5.54
22	22	0.00	0.00	7.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47	10.09
23	23	0.00	0.00	7.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11	4.34
24	24	15.25	2.44	36.00	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61	1.76
योग		150.00	24.00	250.00	40.00	4.00	4.00	93.75	15.00	51.25	40.20	2.00	130.00	20.80	875	150.00	

(एक करोड़ पचास लाख रुपय मात्र)

संयोजक (वित्त/सिंचन)
सरकार के सचिव